21/1/2010 Co-ord

कार्यालय निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भोपाल

श्री मोरीस कुजूर, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली द्वारा मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु संचालित कार्यक्रमों की मध्यप्रदेश शासन के उच्च अधिकारियों के साथ भोपाल में ली गई समीक्षा बैठक दिनांक 11–08–2010 का कार्यवृत्त।

दिनांक 11–08–2010 को मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों की एक समीक्षा बैठक श्री मोरीस कुजूर, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में राज्य सरकार के मुख्य सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की गई। इस बैठक में आयोग मुख्यालय की श्रीमती के. कमला कुमारी, माननीय सदस्या, श्री आदित्य मिश्रा, संयुक्त सचिव, तथा श्री आर.के दुबे, सहायक निदेशक, एवं सुश्री दीपिका खन्ना, अनुसंधान अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल भी उपस्थित थे।

बैठक के आरंभ में मुख्य सचिव, म.प्र. शासन ने आयोग के माननीय उपाध्यक्ष, सदस्य एवं अन्य अधिकारियों का स्वागत किया तथा बैठक में उपस्थित म.प्र. शासन के सभी उच्च अधिकारियों ने अपना परिचय दिया। तत्पश्चात् प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, ने मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित सभी कार्यक्रमों की पॉवरपांइट जानकारी बैठक में उपस्थित आयोग के माननीय उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को दी।

श्री मोरीस कुजूर, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली ने चर्चा प्रारंभ करते हुए बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति पर प्रसन्नता व्यक्त की एवं कहा कि उड़ीसा राज्य के पश्चात यह एक ऐसा राज्य है जहाँ मैंने राज्य के मुख्य सचिव सहित सभी विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों की पूर्ण उपस्थिति देखी है। मेरा सदैव यह मानना है कि बैठकें समीक्षा बैठक नही है बल्कि यह एक परिचर्चा है। आयोग जिस राज्य में समीक्षा हेतु जाता है उसका उद्देश्य जोड़ना होता है, तोड़ना नहीं। मध्यप्रदेश एक विकासशील प्रदेश है जिसमें अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु चलायी जा रही योजनाओं में बहुत–सी योजनाएं आदर्श योजनाएं भी हैं। यहां कुछ नया भी है और कुछ पुरातन भी। उन्होंने कहा स्वाधीनता के 63 वर्ष पश्चात भी हम शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। यहॉ मैं स्पष्ट कराना चाहूंगा कि साक्षरता और ज्ञान में अंतर है। अतः राज्य सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्य में अनुसूचित जनजातियों का साक्षरता प्रतिशत अच्छा नहीं है महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत भी बहुत कम है जो जेंडर गैप (लैगिंक अंतर) दिखाता है।

आयोग के उपाध्यक्ष ने छात्रावास की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भी राज्य सरकार से अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि यह मेरा सुझाव है कि मध्यपद्रेश राज्य में बनाये जाने वाले छात्रावास शहरों में ही हों ताकि अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को शहरों में रहते हुए मुख्य धारा में जुड़ने का मौका मिले। उनके भीतर हीनता की भावना न पनपे। जो कि आदिवासियों में साक्षरता के पश्चात भी अधिकतर पाई जाती है। उन्होंने उदाहरण दिया कि दिनांक 10–07–2010 को मध्यप्रदेश विद्युत

मोरीस कुजुर/MAURICE KUJUR
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार
नई दिल्ली

बोर्ड में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ ली गई बैठक में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारी अपनी समस्याएं भी आयोग को बताने में असमर्थ थे। उनकी समस्याएं अनुसूचित जाति के लोग बता रहे थे। अतः यह मेरा सुझाव भी है और मैं ऐसा भी चाहता हूँ कि मध्यप्रदेश राज्य से ही इस योजना को आरंभ किया जाए कि भविष्य में सभी आश्रम तथा आश्रम शालाएं शहर में ही बनायी जाएं। छात्रावास की सुविधा कॉलेज स्तर तक भी करनी चाहिए। उन्होंने यह भी चिंता व्यक्त की कि स्नातक स्तर तक आते –आते अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत केवल 10 प्रतिशत ही रह गया है। इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि अनुसूचित जनजातियों की बालिकाओं के लिए अलग से नर्सिंग कालेज खोले जाने चाहिए। यह कालेज नर्सिंग के प्रशिक्षण उपरांत उन्हें सरकारी अस्पतालों तथा निजी अस्पतालों में रोजगार दिलाने में सहायक होंगे। ऐसा मेरा विचार है कि आदिवासी लड़कियाँ, इस सेवा समर्पित रोजगार में आगे आएगीं, जिस प्रकार केरल राज्य की बालिकाएं आयीं हैं।

माननीय सदस्या महोदया ने सुझाव दिया कि अंग्रेजी विषय में आदिवासियों का कमजोर होना, उन्हें रोजगार दिलाने में एक बड़ी रूकावट है। उन्होंने राज्य सरकार से इस विषय पर विशेष ध्यान देने हेतु कहा। उन्होंने यह भी कहा कि अंग्रेजी विषय के लिए अलग से कोचिंग की व्यवस्था अनिवार्यतः की जानी चाहिए।

संयुक्त सचिव ने स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित प्राथमिक, माध्यमिक, सेकेण्ड्री शालाओं के परिणामों की चर्चा करते हुए यह जानना चाहा कि स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा इस क्षेत्र में दी जा रही सेवाओं तथा अनुदान के मध्य राज्य सरकार द्वारा कोई बैंच मार्क रखा गया है। इस विषय पर राज्य सरकार की क्या गाईड लाईन हैं?

मुख्य सचिव ने आयोग के साक्षरता प्रतिशत की कमी को मानते हुए प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग से आवश्यक जानकारी देने हेतु कहा। प्रमुख सचिव ने यह माना कि साक्षरता के प्रतिशत में महिला एवं पुरुषों में काफी अंतर है जहाँ एक ओर राज्य साक्षरता प्रतिशत पुरुषों में 76 प्रतिशत है वही महिलाओं का 50.30 प्रतिशत है। यह अंतर अनुसूचित जनजातियों में अधिक है। अनुसूचित जनजातियों के पुरुषों में 53.50 प्रतिशत है तथा महिलाओं में यह प्रतिशत 28.40 है किन्तु इसमें अच्छी बात यह है कि सर्वशिक्षा अभियान के बाद कक्षा पुर्नधारण (रिटेंशन) तथा शाला त्याग (ड्रापआउट) में कमी आयी है। शाला त्याग दर (ड्रापआउट रेट) 2001 में 71 प्रतिशत था जो अब 27 प्रतिशत रह गया है। अनुसूचित जनजातियों में 27 प्रतिशत तथा कुल मध्यप्रदेश में शाला त्याग (ड्रापआउट) प्रतिशत 19 है। उन्होने आशा जताई कि अगली जनगणना तक यह अंतर और कम हो जाएगा। उन्होंने माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आश्रम स्कूलों तथा आश्रम छात्रावास को शहर/ नगरों में खोलने तथा कालेज स्तर के छात्रावासों की कमी के सुझाव पर यह बताया कि राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से इस मद

मोरीस कुजूर Maurice Kujur
MAURICE KUJUR
Vice-Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

में कोई भी राशि उपलब्ध नही करायी गई है। राज्य शासन यह आशा करता है कि इस विषय पर आयोग अपने स्तर से कार्यवाही कर राज्य शासन को राशि उपलब्ध कराने में सहायता देने का कष्ट करें। प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण ने बताया कि जबलपुर, इंदौर तथा भोपाल में 100 सीट के छात्रावास खोले जा चुके है जिनमें पढ़ने वाले छात्रों में अधिकतर छात्रों का परिणाम प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी का रहा है। जहां तक अंग्रेजी विषय में छात्र– छात्राओं कमजोर होने की बात है राज्य शासन इस ओर भी ध्यान दे रहा है। राज्य शासन की ओर से 13 आदिवासी आश्रम शालाएं खोली गयी है जिनका शैक्षिक माध्यम अंग्रेजी रखी गई है। प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग ने बताया कि राज्य में अमरकटंक में आदिवासी विश्वविद्यालय खोला गया है। इसके अतिरिक्त **"गांव की बेटी"** नाम से एक योजना प्रतिभाशाली लड़कियों हेतु लायी जा रही है जिसके मूल उद्देश्य आदिवासी बालिकाओं के शैक्षिक स्तर को आगे बढ़ाना है। राज्य में विगत वर्ष 3,96,000 विद्यार्थी स्नातक हुए थे जिनमें अनुसूचित जनजाति के 25,904 (प्रतिशत) विद्यार्थी थे। यह स्तर कम है किन्तु आगे आने वाले वर्षों में इस स्तर को बढ़ाने में राज्य स्तर से कार्यवाही की जाएगी। प्रमुख सचिव, तकनीकि शिक्षा विभाग ने बताया कि आईटीआई में कुल 28,000 सीटें उपलब्ध हैं जिसमें से 4561 सीट अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित हैं। इस वर्ष 2750 सीट भरी गई जो लगभग 60.29 प्रतिशत हैं। लगभग 40 प्रतिशत सीट रिक्त रहीं। संयुक्त सचिव ने कहा कि रिक्त रहने वाली सीटो का संबंध सीधे अनुसूचित जनजातियों के रोजगार से है। उन्होंने कहा कि यदि यह आरक्षित सीटें रिक्त न रहें तो उतना ही प्रतिशत रोजगार भी अनुसूचित जनजातियों के मध्य उपलब्ध होगा। प्रमुख सचिव, तकनीकि शिक्षा विभाग ने बताया कि राज्य के मंडला तथा धार जिलों में जो कि आदिवासी बहुल जिले हैं, छात्रों को तकनीकि रूप से प्रशिक्षित करने के लिए पॉलिटेकनिक विद्यालय खोलें गए हैं। धार तथा बैतूल जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में आईटीआई खोले गए हैं।

संयुक्त सचिव महोदय ने कहा कि आईटीआई में रिक्त सीटें काफी अधिक हैं। जब हमारे आईटीआई संस्थान ही अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को प्रशिक्षित कर बाजार में उपलब्ध नहीं करा पाएगें तो उनका निर्धारित प्रतिशत नौकरी में अनिवार्य रूप से कम ही मिलेगा। अतः हमारे प्रयास ऐसे होने चाहिए कि हम अधिक से अधिक आदिवासी बच्चों को इंजीनियर बना सकें। यही हाल राज्य में पॉलिटेकनिक कालेज में भी है जहां पर कि हम एक अच्छे मेसन (ईट गारा जोड़ने वाले) तथा अच्छे बढ़ई बना सकते है। आज बाजार में पॉलिटेकनिक से प्रशिक्षित लोगों के लिए अवसरों की कमी नहीं है। यदि आंकडों पर नजर डाले तो पॉलिटेकनिक में इस वर्ष कुल 6587 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटे थी जिनमें से 5312 सीट रिक्त रहीं। लगभग 80.64 प्रतिशत सीटों का पॉलिटेकनिक कालेजों में रिक्त रहना अच्छा परिदृश्य नहीं है। यह एक बढ़ी खाई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2008–2009 में लगभग 76 प्रतिशत तथा 2007–2008 में 87 प्रतिशत स्थान रिक्त रहे। राज्य शासन को इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

मोरीस कुजुर/MAURICE KUJUR
उपाध्यक्ष/Vice-Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार
नई दिल्ली

21/11/2010 Co-ord

संयुक्त सचिव द्वारा स्वयं सेवी संगठनों की कार्यशैली पर किए गए प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रमुख सचिव, आ.जा.क.विभाग ने बताया कि वे स्वयं सेवी संस्थाओं के प्राथमिक, मिडिल, हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्ड्री स्तर के परीक्षा परिणामों की समीक्षा करते हैं। यदि ये परिणाम मानक परिणामों के स्तर पर नहीं होते है तो 20 प्रतिशत अनुदान कम कर दिया जाता है और इसी प्रकार यदि आने वाले वर्षो में सुधार नहीं देखा जाता है तो यह अनुदान 30–40 प्रतिशत तक कम कर दिया जाता है यह स्वयं सेवी संगठनों के लिए एक प्रकार का दंड माना जाता है। संयुक्त सचिव महोदय ने पूछा कि क्या कोई स्वयं सेवी संगठन आपकी सूची में इस प्रकार के दंड द्वारा दंडित किया गया है। प्रमुख सचिव ने बताया कि अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि गणित, विज्ञान तथा अंग्रेजी विषयों के आदिवासी स्नातक नहीं मिल पाने के कारण इन विषयों के शिक्षकों की कमी लगातार बनी हुई है। संयुक्त सचिव ने पूछा कि शिक्षकों की कमी को आप कैसे पूरा करते है? यदि संविदा नियुक्ति की जाती है तो क्या उसमें आरक्षण के नियमों का पालन होता है? प्रमुख सचिव, आ.जा.क. ने बताया कि शिक्षकों के रिक्त पदों की नियुक्तियां संविदा नियुक्ति द्वारा की जाती है। संविदा नियुक्ति में आरक्षण का नियम लागू करने का प्रावधान नहीं है किन्तु मध्यप्रदेश शासन ने संविदा नियुक्ति में भी आरक्षण के नियमों का पालन किया है। 3 वर्ष पश्चात इन संविदा नियुक्ति से रखे गए शिक्षकों को नियमित नियुक्तियां दी जाती हैं। यह प्रकिया प्रतिवर्ष कार्यान्वित की जाती है। संयुक्त सचिव द्वारा आदिम जातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं में शिक्षा दिये जाने पर भी प्रश्न किया गया। उन्हें बताया गया कि कुछ भाषाओं में जैसे गोड़ एवं कोरकू में स्कूली शिक्षा दी जा रही है। संयुक्त सचिव ने पूछा कि अनुसूचित जनजाति की महिला शिक्षिकाओं की राज्य में संख्या कितनी है। प्रमुख सचिव ने कहा कि यह आंकड़ा उपलब्ध नहीं हाने के कारण तत्काल नहीं दिया जा सकता है। इसे बाद में आयोग को उपलब्ध कराया जा सकता है।

संयुक्त सचिव महोदय ने आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सकों की रिक्त संख्या पर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि आंकड़ों के अनुसार 1689 स्वीकृत चिकित्सकों के पदों पर केवल 788 डॉक्टर नियुक्त हैं। इन क्षेत्रों में लगभग 53 प्रतिशत पद रिक्त है। प्रमुख सचिव, चिकित्सा ने बताया कि इन पदों को संविदा नियुक्ति से भरे जाने के प्रयास किए जा रहे है। आदिवासी क्षेत्रों में नियुक्त चिकित्सकों में 103 चिकित्सक अनुसूचित जनजाति के हैं। स्नातक स्तर पर 600 चिकित्सकों से बॉड भरवाकर एक वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देने का प्रावधान रखा गया है। परास्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में चिकित्सकों के प्रवेश से पूर्व उन्हें 2 वर्ष की सेवा ग्रामीण क्षेत्र में करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा विभाग ने 1000 चिकित्सा विशेषज्ञों को सीधी भर्ती द्वारा भी नियुक्त किया है। चिकित्सकों की संख्या में कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने चिकित्सकों की सेवा निवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है। इस प्रकार उपरोक्त योजनाओं के कार्यान्वयन से राज्य शासन चिकित्सा क्षेत्र में अपना दायित्व पूर्ण कर रही है।

मोरीस कुजुर/MAURICE KUJUR
उपाध्यक्ष/Vice-Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

संयुक्त सचिव महोदय ने चिकित्सकों की स्थानान्तरण पॉलिसी पर राज्य सरकार से जानकारी चाही प्रमुख सचिव चिकित्सा विभाग ने बताया कि स्थानान्तरण पॉलिसी शासन द्वारा बनाई गई है जिसके तहत 103 अनुसूचित जनजाति के चिकित्सकों को चयनित किया गया है और जिन्हें आदिवासी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देने हेतु स्थानान्तरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त नर्सों को एवं पैरामेडिकल स्टाफ को भी जनजाति क्षेत्रों में भेजा जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय ने अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रमुखता से पाये जाने वाले रोगों की जानकारी चाही तो प्रमुख सचिव ने बताया कि टी.बी. अधिकता से पाया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय ने नर्सिंग कालेजों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या की जानकारी चाही जिस पर प्रमुख सचिव ने बताया कि कुल 98 सरकारी तथा निजी नर्सिंग कालेज मध्यप्रदेश में संचालित हैं जिनमें लगभग 4000 सीटें उपलब्ध है।अनुसूचित जनजातियों के प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति की योजना से लाभान्वित किया जा रहा हैं। अभी हाल ही में 3 नये एम सेंटर अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में खोले गए है। जबलपुर में आईसीएमआर एक अनुसंधान संस्थान है जिसमें मलेरिया तथा फाइलरिया रोगों पर लगातार अनुसंधान किया जा रहा है। मलेरिया से बचने के लिए अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में मच्छरदानियां बांटी जाती हैं। इस वर्ष लगभग 14 लाख मच्छरदानियां बांटी जा चुकी है जो केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी थीं।

आयोग की माननीय सदस्य महोदया द्वारा जनजाति क्षेत्रों में मोबाईल यूनिट की योजना की जानकारी राज्य शासन से चाही जिसपर बताया गया कि वर्तमान में 3500 मोबाईल यूनिट आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों की दिन– प्रतिदिन के रोगों की चिकित्सा करती है।

संयुक्त सचिव महोदय द्वारा जल मिशन की जानकारी चाही जिसपर प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग ने अवगत कराया कि कुल 1,27,000 बसाहटों को इस योजना से लाभांवित किया जा चुका है जिसमें से 46000 बसाहटें, (लगभग 36 प्रतिशत) अनुसूचित जनजातियों की हैं। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य शासन द्वारा यह कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा राज्य शासन ने यह कार्य निर्धारित समय से पूर्व ही कर लिया गया था। संयुक्त सचिव महोदय ने पूछा कि जल की गुणवत्ता के निर्धारण हेतु जांच एजेसीं किस प्रकार कार्य करती है। प्रमुख सचिव, जल संसाधन ने बताया कि मध्यप्रदेश में कतिपय क्षेत्रों में फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। पंचायत स्तर पर ग्राउंड लेवल कार्यकर्ताओं को जल परीक्षण के किट उपलब्ध कराये गए हैं जो जल परीक्षण कर पंचायत को रिपोर्ट करता है तथा पंचायत से यह जिला स्तर पर और जिला स्तर से यह राज्य स्तर पर विश्लेषित किया जाता है। जल परीक्षण के पश्चात पंचायत स्तर पर ही जल को पीने लायक बनाने हेतु शोधित किया जाता है।

संयुक्त सचिव महोदय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के बारे में जानकारी चाही। उन्होंने पूछा कि इस योजना से कितने अनुसूचित जनजाति के मजदूर लाभांवित हुए हैं। प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत ने बताया कि विगत 3 वर्षों में कुल 8322 लाख मानव दिवस कार्य

मोरीस कुजुर/MAURICE KUJUR
उपाध्यक्ष/Vice-Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

सृजित हुए थे जिनमें से 3910 लाख मानव दिवस अनुसूचित जनजातियों को लाभ मिला। संयुक्त सचिव महोदय ने पूछा कि क्या वर्तमान में संचालित योजनानुसार प्रतिवर्ष 100 मानव दिवस अनुसूचित जनजातियों की रोजगार संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए काफी हैं? क्या राज्य शासन द्वारा इस संबंध में कोई मूल्यांकन (एसिसमेंट) कराया गया है? उपाध्यक्ष महोदय ने भी इस विषय में कहा कि आयोग को ऐसा आभास होता है कि 100 मानव दिवस अनुसूचित जनजातियों की बेरोजगारी की समस्या के लिए काफी नहीं हैं। प्रमुख सचिव ने बताया कि ऐसा कोई अध्ययन राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके जीवकोपार्जन हेतु 100 मानव दिवस पर्याप्त हैं अथवा इसे और अधिक बढ़ाए जाने की जरूरत है। संयुक्त सचिव महोदय ने राज्य शासन से कहा कि आयोग यह चाहता है कि शासन शीघ्र ही आदिम जाति अनुसंधान संस्थान या अन्य किसी संस्थान से इस विषय पर अनुसंधान करवाएं जिसमें इस योजना के पश्चात रोजगार, प्रव्रजन की समस्याओं का कितना समाधान हो पाया है इसकी सही तस्वीर सामने आ पाए। मुख्य सचिव महोदय ने प्रश्न पूछा कि क्या यह अनुसंधान अनुसूचित क्षेत्रों में ही कराया जाए? इस पर संयुक्त सचिव महोदय ने कहा कि यह नमूना आधार पर अनुसूचित क्षेत्रों में कराना ही उचित होगा। आयोग यह चाहता है कि यदि 100 मानव दिन पर्याप्त नहीं है तो इसे बढ़ाया जाए। आयोग इसमें संबंधित मंत्रालय से हस्तक्षेप कर अपना मंतव्य रख सकता है। मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया कि वे इस विषय पर जल्द ही जानकारी उपलब्ध कराएंगे। संयुक्त सचिव महोदय ने मध्य प्रदेश शासन से मध्य प्रदेश में विद्यमान अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण में विशेष भर्ती अभियान की जानकारी चाही। प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ने आयोग को अवगत कराया कि विशेष भर्ती अभियान की समय–सीमा दिनांक 30–06–2010 को समाप्त हो गई है जिसे राज्य शासन द्वारा इस महीने के अंतिम सप्ताह तक एक आदेश द्वारा दिनांक 30–06–2011 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है (राज्य शासन द्वारा यह आदेश रिपोर्ट बनाने तक जारी कर दिया गया है जिसकी प्रति आयोग को उपलब्ध करायी गई है)। संयुक्त सचिव ने राज्य शासन की सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व सभी वर्गों (ग्रुप ए, बी, सी तथा डी में) में निर्धारित प्रतिशत से कम बताया एवं इस गैप को भरने के लिये Extended Zone of Consideration के बिना इसके निर्धारित प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव है। मुख्य सचिव ने बताया कि मुख्य मंत्री द्वारा इस विषय में सभी विभागों के साथ बैठक ली जा चुकी है और उन्हें समय सीमा के भीतर आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत को पूर्ण करने के आदेश दिये जा चुके हैं। संयुक्त सचिव महोदय ने सफाई कर्मचारियों की Out Sourcing के विषय में जानकारी चाही। आयोग को बताया गया कि साफ–सफाई कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति की जा रही है। संयुक्त सचिव महोदय ने पूछा कि संविदा द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को कितने समय बाद नियमित किया जाता है। प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा बताया गया कि हमारे यहां 3 वर्ष पश्चात संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाता है।

Maurice Kujur

मोरीस कुजुर/MAURICE KUJUR
उपाध्यक्ष/Vice-Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

संयुक्त सचिव महोदय ने वन विभाग से जुड़ी समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वन अधिकार नियम, 2005 के पश्चात अनुसूचित जनजातियों के भूमि आधिपत्य के प्रकरण आयोग को लगातार प्राप्त हो रहे हैं जिसमें राज्य शासन द्वारा उनके आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया गया है, इसी प्रकार मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल में आरक्षण नियमों को पालन नहीं होने की भी शिकायतें आयोग को लगातार प्राप्त हो रहीं हैं जिसके अंतर्गत बोर्ड में कार्यरत इंजीनियरों की पदोन्नति से जुड़े मामले अधिक हैं। मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन ने कहा कि दोनों ही विभागों में कार्रवाई की जा रही है। यह अभी संक्रमक काल में है शीघ्र ही इन समस्याओं को दूर कर दिया जायेगा।

आयोग के सहायक निदेशक ने बैठक में अवगत कराया कि आयोग के माननीय उपाध्यक्ष से मुलाकात करने वाले अनुसूचित जनजाति के संगठनों एवं व्यक्तियों ने जानकारी दी है कि भारत सरकार द्वारा छिंदवाड़ा जिले के पाताल कोट में स्थित 12 गाँवों में निवासरत भारिया जाति के लोगों को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में मान्य किया गया है। विगत 30–35 वर्षों में इन्हीं गाँवों के भारिया जनजाति के व्यक्ति एवं परिवार शिक्षा, नौकरी, कृषि अथवा व्यवसाय की जरूरतों के कारण पाताल कोट घाटी से बाहर के गाँवों में भी रहने लगे हैं किन्तु इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में कोई सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है। इन संगठनों ने मांग की है कि राज्य सरकार क्षेत्रीय सीमा का विस्तार करते हुए पाताल कोट से बाहर रहने वाले भारिया जनजाति के लोगों को भी विशेष पिछड़ी जनजाति मानते हुए लाभान्वित करे जैसा कि बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति के मामले में किया गया है। इस पर प्रमुख सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने अवगत कराया कि इसके लिए टी.आर.आई. के माध्यम से अध्ययन कराया जायेगा जिसमें कम से कम एक वर्ष का समय लग सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय ने बैठक का धन्यवाद प्रस्ताव रखते हुए कहा कि मैं इस बैठक से संतुष्ट हूँ और बहुत हल्के मन से इस बैठक को समाप्त कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रशासन को चलाने में पारदर्शिता, जबाबदेही तथा विश्वास प्रमुख होता है। मैं मध्य प्रदेश शासन से यह आशा रखता हूँ कि वे अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी मुद्दों पर पारदर्शिता, जबाबदेही तथा विश्वास के साथ योजनाओं का संवर्धन करेगा।

Maurice Kujur

मोरीस कुजुर/MAURICE KUJUR
उपाध्यक्ष/Vice-Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi